



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935

No. 554]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

का.आ. 649 (अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1097(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005, द्वारा पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 3.600 कि.मी. से 97.300 कि.मी. तक राष्ट्रीय राजमार्ग का (पटानकोट—जम्मू सेक्शन) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए का 0.000 कि.मी. से 20.400/9.200 कि.मी. तक (जम्मू बाइपास) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है।

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए सा.का.नि. 838, (अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा शुल्क संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और इनमें सा.का.नि. 950(अ), दिनांक 3.12. 2010, सा.का.नि. 15(अ), दिनांक 12.01.2011, सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 12.10.2011, सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 16.12.2013 और सा.का.नि. 26(अ), दिनांक 16.01.2014 द्वारा संशोधन किए गये हैं;

और यतः, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) तथा इसमें हुए और संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 2926 (अ), तारीख 27.9.2013 द्वारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में ओएमटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए के 4.230 कि.मी. से 117.750/4.000 कि.मी., 4.000 कि.मी. से 97.200/0.000 कि.मी. और 0.000 कि.मी. से 15.000 कि.मी. तक जालंधर से जम्मू बाइपास की समाप्ति तक के खंड का उपयोग किए जाने के लिए यांत्रिक वाहनों पर प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से का.आ. संख्या 764 (अ), तारीख 10.4.2012 और का.आ. संख्या 1593 (अ), तारीख 16.7.2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं का अधिकमण करते हुए करार में यथा विनिर्दिष्ट समाप्ति की तारीख तक मैसर्स डीआरए—डीपीजे टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर को शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया था।

और यतः, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अभी घोषित नहीं की गयी है। इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान सरकारी राजकोष को कोई नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, की धारा 3 तथा इसमें आगे हुए संशोधनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 95.850 कि.मी. (जिसमें 92.013 कि.मी. सड़क और 3836.95 मी. ऐसी संचनाएँ शामिल हैं जिनकी लम्बाई 60 मी. से अधिक है) हेतु पंजाब, और जम्मू व कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 1ए के 16.350 कि.मी. से 97.200/0.000 कि.मी. (पठानकोट-जम्मू सेक्शन) पर चार और अधिक लेन के खंडों का उपयोग किए जाने के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर एतद्द्वारा शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा :-

टोल प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कटुआ जिले में लखनपुर गांव के निकट रारा-1ए का 16.400 कि.मी.	46.116 (नीचे पैरा-2 में इंगित संरचनाओं की 2534 मी लम्बाई को छोड़कर)
संबा जिले में टंडीखुई गांव के निकट रारा-1ए का 88.300 कि.मी.	44.697 (नीचे पैरा-2 में इंगित संरचनाओं की 1302.95 मी लम्बाई को छोड़कर)*

* शेष लम्बाई का निर्माण कर लेने के बाद 45.897 कि.मी. की लम्बाई (अर्थात् : 60 मी. से अधिक वाली संरचनाओं को छोड़कर पूरे टोल खंड हेतु) के लिए शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा।

2. इसके अलावा, निम्नलिखित ऐसी संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मी से अधिक है, का उपयोग किए जाने के लिए संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर शुल्क शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समान लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई * (कि.मी. में)	सड़क की समान लम्बाई (कि.मी. में)
कटुआ जिले में लखनपुर गांव के निकट रारा-1ए का 16.400 कि.मी.	2.534	25.340
संबा जिले में टंडीखुई गांव के निकट रारा-1ए का 88.300 कि.मी.	1.303	13.030

* ब्यौरा निम्नानुसार है:-

रारा-1ए के 16.400 कि.मी. पर लखनपुर टोल प्लाजा

	चैनेज		लम्बाई (मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक	
1	20.550	20.765	215.00
2	27.017	27.326	309.60
3	27.663	27.878	215.00
4	36.311	36.896	585.20
5	43.052	43.158	105.80
6	44.347	44.416	69.20
7	46.305	46.864	558.90
8	55.212	55.462	250.30
9	59.161	59.248	86.60

10	62.001	62.070	69.20
11	63.417	63.486	69.20
			2534.00

रारा-1ए के 88.300 कि.मी. पर टंडीखुई टोल प्लाजा

	चैनेज		लम्बाई (मी. मे)
	कि.मी. से	कि.मी. तक	
1	69.462	69.790	327.15
2	76.994	77.402	408.00
3	81.454	81.559	105.00
4	86.891	86.968	77.65
5	89.310	89.446	155.65
6	94.420	94.650	229.50
			1302.95

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013-14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किये जाएंगे अर्थात् :

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. ऐसा यांत्रिक वाहन जिस पर नियमों में उस श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट अनुमेय भार से अधिक भार लदा हुआ है, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा को तब तक पार करने की अनुमति नहीं होगी जब तक उस यांत्रिक वाहन पर से लदा हुआ अधिक भार हटा नहीं दिया जाता। इस प्रकार, अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन का चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार लदे हुए वाहन को प्रवेश करवाने के लिए नियमों के अंतर्गत उस श्रेणी के यांत्रिक वाहन के लिए लागू दर से दस गुना शुल्क टोल संग्रहण एजेंसी को अदा करने का उत्तरदायी होगा।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी 1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

10. इस परियोजना की वर्तमान पूंजीगत लागत 447.96 करोड़ रूपए (लखनपुर टोल प्लाजा की प्रभावित लम्बाई हेतु) + 434.61 करोड़ रूपए (टंडीखुई टोल प्लाजा की प्रभावित लम्बाई हेतु) = 882.57 करोड़ रूपए (मात्र आठ सौ बयासी करोड़ सतावन लाख रूपए) है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजी लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा ।

11. प्राधिकरण और रियायतग्राही, मैसर्स डीआरए-डीपीजे टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए ओएमटी आधार पर दिनांक 16.5.2013 के रियायत करार के अधीन वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख घोषित किए जाने तक प्राधिकरण द्वारा शुल्क संग्रहण की यह व्यवस्था जारी रहेगी।

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / 670 / सीओ / 13-14 / जीसी / जालंधर-जम्मू बाइपास]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

S.O. 649(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1097(E), dated 04th August, 2005 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government, has entrusted the section of National Highway from km. 3.600 to km 97.300 (Pathankot – Jammu Section) and km 0.000 to km 20.400/9.200 (Jammu Bypass) of National Highway No. 1A in the States of Punjab and Jammu & Kashmir to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated 05.12.2008 and amended vide G.S.Rs 950(E) dated 03.12.2010, G.S.R 15(E) dated 12.01.2011, G.S.R 756(E) dated 12.10.2011, GSR 778(E) dated 16.12.2013 and G.S.R 26(E) dated 16.01.2014 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008 and its further amendments, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 2926 (E) dated 27.09.2013 authorized the Concessionaire M/s DRA-DPJ Tollways Pvt. Ltd., Nagpur for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the stretch from Jalandhar to end of Jammu Bypass Section from Km. 4.230 to Km. 117.750/4.000, Km. 4.000 to Km. 97.200/0.000 and Km. 0.000 to Km. 15.000 on National Highway No. 1A in the States of Punjab, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir on OMT basis on and from the Date of Commercial Operation declared by the Authority and till the termination date as specified in the Agreement superseding the Notifications published vide S.O. No. 764 (E) dated 10.04.2012 and S.O. No. 1593 (E) dated 16.07.2012.

And whereas, the Date of Commercial Operation has not been declared so far. To ensure that there is no loss to the public exchequer in this intervening period, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 95.850 km (including 92.013 km road and 3836.95 m of structures having length more than 60 m) for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) of the stretch from Km. 16.350 to Km. 97.200/0.000 (Pathankot – Jammu Section) and from Km. 0.000 to Km. 15.000 (Jammu Bypass) of National Highway No. 1A in the States of Punjab and Jammu & Kashmir on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza :

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 16.400 of NH-1A, near village Lakhanpur in Kathua District	46.116 (Excluding 2534 m length of structures indicated in Para-2 below)
Km 88.300 of NH-1A, near village Thandikhui in Samba District	44.697 (Excluding 1302.95 m length of structures indicated in Para-2 below)*

* After completion of construction in balance length, the fee shall be levied and collected for 45.897 km length (i.e. for full tolling section excluding structures more than 60 m).

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)
Km 16.400 of NH-1A, near village Lakhanpur in Kathua District	2.534	25.340
Km 88.300 of NH-1A, near village Thandikhui in Samba District	1.303	13.030

* The details are as under:-

Lakhanpur Toll Plaza at km 16.400 of NH-1A

	Chainage		Length (m)
	From Km	To Km	
1	20.550	20.765	215.00
2	27.017	27.326	309.60
3	27.663	27.878	215.00
4	36.311	36.896	585.20
5	43.052	43.158	105.80
6	44.347	44.416	69.20
7	46.305	46.864	558.90
8	55.212	55.462	250.30
9	59.161	59.248	86.60
10	62.001	62.070	69.20
11	63.417	63.486	69.20
			2534.00

Thandikhui Toll Plaza at km 88.300 of NH-1A

	Chainage		Length (m)
	From Km	To Km	
1	69.462	69.790	327.15
2	76.994	77.402	408.00
3	81.454	81.559	105.00
4	86.891	86.968	77.65
5	89.310	89.446	155.65
6	94.420	94.650	229.50
			1302.95

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the Toll Plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the Toll Collecting agency, equal to 10 times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The present value of Capital Cost of the Project is Rs. 447.96 Crore (for influence length of Lakhapur Toll Plaza) + Rs. 434.61 Crore (for influence length of Thandikhui Toll Plaza) = Rs. 882.57 Crore (Rupee Eight Hundred Eighty Two Crore Fifty Seven lakhs only). The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

11. This arrangement of fee collection by the Authority will continue till the commercial operation date gets declared under the Concession Agreement dated 16.05.2013 on OMT basis entered into between the Authority and the Concessionaire, M/s DRA-DPJ Tollways Pvt. Ltd.

[F. No. NHAI/13013/670/CO/13-14/GC /Jalandhar – Jammu Bypass]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.